रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 1993/आषाढ़ 17, 1915
No. 407] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 1993/ASADHA 17, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1993

मेट्रो रेलवे (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 10(1)

का. आ. 500(अ).—यतः भारत सरकार मेट्रो रेलवे (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर इस बात से सहमत है कि कलकत्ता शहर में सरकारी खर्च पर नीचे की अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के निर्माण तथा उससे सम्बद्ध अन्य निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहीत की जानी चाहिए ।

अतः अब एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मेट्रो रेलवे (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अधिग्रहण करती है ।

यह घोषणा उन सभी के लिए की जाती है जो इससे संबंधित है।

सक्षम प्राधिकारी, मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के कार्यालय में भूमि, भवन आदि के नक्शे की जांच की जा सकती है ।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 14/4

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि को अधिगृहीत किया गया है	अधिगृहीत की गयी भूमि का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा		
सैट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राईंग सं. एम आर सी/डब्ल्यू सैड/704/92	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संकर्म का निर्माण	104.63 (10.010463 हैक्टर)	145—बी चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता	उत्तर :	परिसर सं. 145—बी, चित्तरंजन एवेन्यू
				दक्षिण :	परिसर सं. 145—बी, चित्तरंजन एवेन्यू का सामान्य गलियारा
				पूर्व :	चित्तरंजन एवेन्यू
				पश्चिम :	परिसर सं. 145—बी, चित्तरंजन एवेन्यू

[सं. 92/एम. टी. पी./सी/9/2]

फेलिक्स कुल्लू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1993

Under Section 10(1) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (Act. 33 of 1978)

S.O. 500(E).—Whereas the Central Government on the report of the Competent Authority under the Metro Railways (Construction on Works) Act, 1978 is satisfied that the land building etc. mentioned in the schedule below should be acquired for a public purpose namely for construction of Metro Railway, Calcutta and other works connected therewith at the public expenses in the City of Calcutta.

Now, therefore, it is hereby declared that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, the Central Government do hereby acquire the land, building etc. referred to in the schedule below.

This declaration is made to all to whom it may concern.

A plan of the land building etc. may be inspected in the office of the Competent Authority, Metro Railway, Calcutta.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

SCHEDULE OF LAND

Land Schedule No. 14/4

Reference to Plan		Purpose for which Land etc. is acquired	Area description and boundary of the land etc. which is acquired		
Set	sheet		Area in Sqm.	Description	Boundary of the Land
Drawing No. MRC/W/Land/704/92		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	104.6 (0.010463) Hector)	145-B, Chitta Ranjan Avenue, Calcutta.	North : Premises No. 145-B, C.R. Avenue. South : Common Passage of Premises No. 145-B, C.R. Avenue. East : Chitta Ranjan Avenue. West : Premises No. 145-B, C.R. Avenue.

[Case No. 92/MTP/C/9/2]

FELIX KULLU, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993